मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 791/सी0आर0 733/1(3)/72 भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषयः- शासकीय सेवकों के दक्षतारोध प्रकरणों में निर्णय लेने संबंधी ।

=x=

शासकीय सेवकों के दक्षतारोध पार करने संबंधी स्पष्ट नीति निर्धारण का प्रश्न कुछ समय से शासन के विचाराधीन था । दक्षतारोध पार करने संबंधी वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 431/सी0आर0 486/4/नि-1 दिनांक 26 मार्च, 1966 में दिये गये आदेशों को निरस्त करते हुए अब राज्य शासन द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :—

(1) दक्षतारोध पार करने के प्रत्येक प्रकरण नियत तिथि के छः माह पूर्व से ही सक्षम अधिकारी द्वारा चालू किये जाय । यह कार्य ठीक तरीके से हो रहा है यह सुनिश्चित करना उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।

(2) उपर्युक्त कंडिका 1 की कार्रवाई में यदि किसी कर्मचारी को दक्षतारोध पार न करने देने का निर्णय होता है तो उस निर्णय की सूचना संबंधित कर्मचारी को दी जावे ।

(3) निर्णय की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी को एक माह के अन्दर अगले उच्च अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता होगी यदि सूचना प्राप्ति की दिनांक से वह एक माह के अन्दर प्रतिवेदन नहीं देता, तो उसके उपरान्त कोई प्रतिवेदन मान्य नहीं किया जावेगा ।

(मु0 वि0 गर्दे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

=2=